अध्याय 2

कंप्यूटर और राजभाषा

2.1 राजभाषा का परिचय
2.1.1 राजभाषा की परिभाषा
2.1.2 राजभाषा की आयशक्ति
2.1.3 राजभाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
2.1.4 हिंदी की अपरिहार्यता
2.1.5 भाषा के विभिन्न रूप
2.1.6 राजभाषा संबंधी सामग्रिक धाराएँ तथा अधिनियम /नियम
   (क) भारत का संविधान, राजभाषा संबंधी प्रावधान (भाग 5,6,17)
   (ख) राजभाषा अधिनियम,1963 (संवासंशोधन 1967)
   (ग) राजभाषा नियम,1976 (संवासंशोधन 1987)

2.2 राजभाषा संबंधी वस्तुओं के निर्माण में सहायक कंप्यूटर

2.3 हिंदी कंप्यूटर संबंधी सामग्रिक धाराएँ

2.4 अध्याय 2 की संपूर्ण पूर्ति
2.1 राजभाषा का परिचय

कंप्यूटर के स्वदेशीकरण की दिशा में सवैयक महत्वपूर्ण मुर्मिकाराजभाषा ने निभाई है। राजभाषा के रूप में सुधारित हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तत्परता राज-काल की भाषा के रूप में सर्वत्र व्यवहार में लाए जाने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए तथा तत्त्वेंद्री व्यवस्थाएं की गई। कंप्यूटर से राजभाषा को जोड़ना भी इसी की एक कदम है। कंप्यूटर के हिन्दीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों में इन प्रावधानों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2.1.1 राजभाषा की परिभाषा

राजभाषा हिंदी में काम करने के लिए संविधान के भाग 5, भाग 6 (210) तथा भाग 17 को “राजभाषा” श्रेणी से अभिव्यक्त किया गया है। राजकाल के प्रयोजन से प्रयुक्त भाषा राजभाषा होती है। विद्यानिवास मिश्र के अनुसार “राजभाषा कई दूसरी भाषा नहीं है, हिंदी की ही हिंदी प्रवृत्ति है।”

2.1.2 राजभाषा की आवश्यकता

जनतंत्र की व्यवस्था की भाषा बहुत ही सत्तानी बनी होनी चाहिए जो उसके प्रयोग में आती हो और जिससे उसका व्यवस्था पर विवाद हो न सके। यदि वह फारसी या अंग्रेजी की तरह अजीब हुई तो फिर शासन और साहित्य नागरिक के बीच की दूरी की दुनिया की त्यों बनी रहती। इस दूरी को पाते के लिए ही हिंदी और हिंदी की पुरुषत्व का वह रूप, जो अधिक से अधिक लोगों के लिए दीक्षा है, व्यवस्था भी शासन ने यह भारतीय संघ के संविधान में स्वीकृत हुआ।

भाषा का प्रश्न भी राष्ट्रीय प्रश्न था क्योंकि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक राष्ट्रीय विचारों को प्रभावित करने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता जान पड़ी जो आम फाहम हो। इसलिए राजभाषा का महत्व और भी बढ़ गया।

2.1.3 राजभाषा का ऐपडासिक प्रकृति

राजकाल चलने के लिए किसी-न-किसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अशोक की राजाजाँएं उस काल के पालि भाषा में सामने के अनेक केंद्रों से प्राप्त हुई हैं। इनसे आगे-पीछे संस्कृत का प्रयोग होता है। नागरिकता, तासपरों और तान्त्रिकों से इसके प्रमाण मिलते हैं। राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी के अनेक पुरातात्त्विक प्राप्त हुए हैं जो कुछ तो युद्ध संस्कृत में, कुछ यूनान में संस्कृत गैर यूनान में और कुछ राजस्थानी-शिष्ट भाषाओं में हैं। हुसैनाबाद वाणिज्य दर्शन के शासन-काल में यूनान-पाँच शासनकाल को शासन काल के शासन हिंदी थी। इलामी राज्य के आश्रय से लेकर अकबर के शासन काल के शासन तक सभी काम करने हिंदी में रचे जाते थे। अकबर के गुरुमंजरी राज दोभाषत के आदेश से सरकारी काम करने और फारसी में लिखे जाने लगे।
फारसी सीखी। इस प्रकार एक मुंगे-वर्ग तैयार हुआ जिसने तीन सी वर्ष सरकार और फारसी की सेवा की। सन 1833 में लाउर मैकारले ने अंग्रेजी को प्रतिष्ठित करने की योजना तैयार की।

अंग्रेजी की बहुत सुरसा समान राजनीतिक शक्ति अपने शासन को व्यवस्थित करने में प्रवर्तकी बनी।

कंपनी की माफी अंग्रेजी होते हुए भी इंग्लैंड से में जाने वाले अधिकारियों को हिंदी पढ़ना और उसकी विधान में उत्तरार्थ होना अविवाह कर दिया था और प्रांतीय नागरिकों को साथ लेकर हिंदी निखरने लगी थी।

लोकशाही सरकारी कामकाज की टकसाल में डालने लगी थी और नगरी लिपि कामकाज से बढ़ती-बढ़ती रिकॉर्ड और स्टोरेज पर आने लगी। जनमत ने हिंदी की व्यक्तित्व के प्रति सरकार को सजग किया तो हिंदी का प्रयोग अनुवाद रूप में अंग्रेजी के साथ-साथ राजनीति में भी बढ़ा। सरकारी पत्रों के आदरण-प्रदान में तथा सिद्धित अधिकारियों को हिंदी में प्रतिष्ठित करने की व्यवस्था भरत और इंग्लैंड में अदालत थी।

हिंदी तत्कालिन परिस्थितियों में प्रकाशित के गाथे से राष्ट्र संबंधी विचारों के साथ आगे बढ़ती रही। यह काल था राष्ट्रवाद अर्थिक काल। जिस प्रकार आज की खड़ी बोली आज से शातिर्धारा पूर्व बिना नाम और झाँके की साहित्य सेवा करती रही, लेकिन उसका नामकरण संस्कार बाद में हुआ उसी प्रकार आज की संबंधीकृत हिंदी राष्ट्रवाद के रूप में वर्षों से पनपती रही, गगन नामकरण बाद में हुआ।

2.1.4 हिंदी की अपरिहार्ता (हिंदी ही क्यूं?)
राजनीतिक राष्ट्रवाद के विकास के साथ राष्ट्रवाद की कल्पना राष्ट्रीय एकता के प्रवृत्तियों के रूप में पैदा होने लगी। राष्ट्रीय समान की दृष्टि से राष्ट्रवाद की स्थिति का अनुचित हो जाने लगा। इसलिए भाषा-भाषी राष्ट्र के सदस्यों के भाषा के आदान-प्रदान के लिए एक भाषा की परिपक्वता मूर्त रूप धारण करने लगी। यह नहीं, भाषार्थक एकता के लिए भाषा के एकता का विचार पुनः हुआ और तब हिंदी अपनी सार्थकता, व्यक्तित्व, सरकार और संस्थानों के कारण राष्ट्रवाद के रूप में ग्रहण की गई। अंग्रेजी के सरकारी क्षेत्र में व्यापक प्रयोग की तुलना में हिंदी को राष्ट्रवाद जाना-माना गया। अंग्रेजी शासन का निरोध अवइंड था तथा उसके संबंध सभी वस्तुओं का निरोध हो। विदेशी भाषा का प्रयोग केवल मात्र शासन तक ही सीमित रहा। जब वह संस्कृति को प्रस्तुत करना तब राष्ट्रीय श्लेषों ने राष्ट्रवाद को शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से हिंदी को ही राष्ट्रवाद के रूप में अपनाने का विचार किया।

हिंदी भाषा के संबंध में राष्ट्रवाद का पर्याय स्वातन्त्रता संघर्ष को देने है।

राष्ट्रवाद के विकास के साथ-ही साथ राष्ट्र-गान, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय यही आदि को मान्यता मिली और राष्ट्रीय एकता के नाम पर राष्ट्रवाद नाम मिला।
हिंदी राजनीति, व्यवसाय, धर्म, राजकाज के संपर्क कार्य में संपर्क भाषा के रूप में पनप रही थी।

हिंदी का, राष्ट्रभाषा का यह स्वरूप विषय चयन समिति के विचार-विमर्श-मतभेद से निकले सर्वसमात रूपी नवनिति के रूप में स्निश्चित था।

2.1.5 भाषा के विभिन्न रूप

"जो भाषा पाता की गोद में स्वाभाविक रूप में सीखी जाती है वह मातृभाषा है। किसी क्षेत्र का सामाजिक व्यक्ति प्रचलित शैली में जो कहता है वह जनन्मभाषा है। जबकि नहीं कि जनन्मभाषा बुद्ध साधारण रूप वाली ही हो या वह कई व्यक्तियों के नियम से कंठी हो। एक ही भाषा की अनेक वस्तुओं भी होती हैं जिनका रूप शीर्ष-दूरों पर पदलता गई दिखाई देता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति रूप अलग-अलग भाषाओं में नहीं माने जा सकते। आदेशिक भाषा यह है जो कुछ गाँवों की या छोटी से छोटी भाषाओं को वहीं, यानी विभिन्न क्षेत्र या भूगोल (या विनियम प्रदेश के) की भाषा है। अतिस देश में अनेक प्रदेश हों और वहें कई भाषाएं हों, उनके उपर द्वारा संपर्क के लिए "संपर्क भाषा" की आवश्यकता पड़ती है।

देश के एक भाग के नियमों जब अपने देश के अन्य भागों के लोगों से मिले, उनके कारोबार करे, तब जिस भाषा में वे अपने विचारों का आदर-प्रदान करते रहे हैं, वह उस देश की राष्ट्रभाषा कही जाती है। राष्ट्रभाषा वह है जिसे सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रयोग करने का निष्पादन किया जाए।

मातृभाषा या जनन्मभाषा का निर्णय राजनीति से नहीं होता जबकि साधन के कामकाज की भाषा (राजनीति) का निर्णय संविधान, अधिनियम, नियम, आदेशों के द्वारा होता है।

संपर्क भाषा दैर्घ्यकालीन सामाजिक कार्य-व्यवहार से विकसित होती है किन्तु उस पर राजनीति की भी प्रभाव पड़ता है।

आवश्यक नहीं कि मातृभाषा राजनीति ही हो। विभिन्न प्रदेशों की राजनीतियों में विभिन्न भी हो सकते हैं, जैसा कि भारत में है।

हिंदी प्रादेशिक भाषा भी है और कई राज्यों ने संविधान के अनुक्रेन्द्र 345 के अंतर्गत, उसे राज की राजनीति बनाया है। जहां तक राजनीति का प्रयोग है, मुगलकाल में, माराठों के शासन काल में तथा फ्रांसीस के राज्य में भी अनेक प्रकार के संस्कारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग होता था। अतः यदि भारतीय संविधान के हिंदी को कुछ राज्यों की तथा संधि की भी राजनीति बनाया गया तो वह हिंदी के लिए कोई नई भाषा नहीं बनी। लेकिन राष्ट्रभाषा पहले भी थी तथा अब भी है, राजनीति बनाने के उसके प्रयोग का क्षेत्र और विस्तृत हुआ है, किसी भीतर कम नहीं हुआ।

उत्तरदायित्व पहले की स्पष्ट हो गया है।

संविधान के भाग- 17 का शीर्षक है "राजनीति"। इसका अंश 1 "संघ की भाषा" के विषय में है। इसके अनुक्रेन्द्र 343 के संघ की राजनीति का उल्लेख है और अनुक्रेन्द्र
344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में है। आधार 2 का शीर्षक है: "प्रादेशिक भाषाएँ, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 345 'राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ' संबंधी है, अनुच्छेद 346 'एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा विषयक है। 18"

"राजभाषा आयोग की सिफारिश पर जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग बना, उसने शब्दावली इस प्रकार तैयार की है कि वह केवल हिंदी भाषा के लिए ही काम न आए उसका प्रयोग सामान्यतः अन्य भाषाओं में भी हो सके।" 19

2.1.6 राजभाषा संबंधी सामान्य घाटक घाटक तथा अधिनियम/नियम

2.1.6(क) भारत का संविधान,राजभाषा संबंधी प्रबन्धन

भाग - 5

अधार 2

120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा : (1) भाग 17 में किसी वाद के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपर्युक्तों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

परंतु, राजसभा का समाप्तित्व सा, राजसम्ब भाषा का अभ्यन्तर अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्यावरण अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकेगा।

(2) जब तक संसद की रक्षा अथवा उपर्युक्त न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंडत वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रावधान होगा माने "या अंग्रेजी में" शब्दों का उससे लोग कर दिया गया हो।

भाग - 6

अधार 3

210. विधान-संबंध में प्रयोग की जाने वाली भाषा : (1) भाग 17 में किसी वाद के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपर्युक्तों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-संबंध में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

परंतु, राजसभा का समाप्तित्व, विधान सम्बन्धित अथवा विधान परिषद का अभ्यन्तर अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्यावरण अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकेगा।
(2) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो “यह अंग्रेजी में” शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो।
[परंतु (हिंदी नियम, मंगल, देशान्त और रिप्लाप्रयोगों के विधान-मंडल) के संबद्ध में, यह अंक इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले “पंद्रह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “वच्ची 30 वर्ष” शब्द रख दिए गए हों।]
[परंतु यह और कि (अनुच्छेद प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडल) के संबंध में यह अंक इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले “पंद्रह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “चालीस वर्ष” शब्द रख दिए गए हों।]

भाग - 17
राजमार्ग
अध्याय 1 - संघ की भाषा
343. संघ की राजभाषा (1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
संघ के शासनीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।

(2) अंक(1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के सार्थक शासनीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना रखेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से सीं पहले प्रयोग किया जा रहा था:
परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासनीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा (क) अंग्रेजी भाषा का, या
(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,
ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपविधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समग्रता (1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठ अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न ग्रामों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनके राष्ट्रपति नियुक्त कर और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया प्रतिनिधित्व करेगा।
(2) आयोग का यह कर्त्य होगा कि यह राष्ट्रपति को:
(क) संघ के शासनीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकारिक प्रयोग,
(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासनीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्धारित,
(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

(घ) संच के किसी एक या अधिक विनिर्देश प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंशों के रूप

(ख) संच की राजभाषा तथा संच और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी विषय, के बारे में सिफारिश करें।

(ड) खंड(2) के अधीन अपनी सिफारिश करने में, आयोग भारत की आदिवासी, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उत्पत्ति का और तो रोजाना के संबंध में अभिव्यक्ति के व्यक्तियों के व्यापकता नाम और हिंदी का सम्पूर्ण ध्यान रखेंगा।

(३) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से सिलसिला बनेगी जिनमें से दूसरा लोक सभा के सदस्य होंगे और दूसरा राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा सदस्यों और राज्य सभा के सदस्य द्वारा आवश्यक प्रतिनिधित्व प्रदाता के अनुसार एक समान भाग में नियुक्त होंगे।

(५) समिति का यह कार्य होगा कि वह खंड (१) के अधीन गठित आयोग की सिफारिश की परीक्षा करें और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

(६) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (५) में निर्देश प्रतिवेदन पर विचार करने के प्रश्नात्य उस संसूचना प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेंगा।

अध्याय 2 - प्रादेशिक भाषाएँ

345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ - अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेंगा:

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करें तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संबंध के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा - संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए, तत्कालीन शासकीय भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी:

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह कार्य करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होंगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुसार ह्य योजी जाने वाली भाषा के संबंध में विवेश उपबंध - यदि इस निम्नता गांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है
की किसी राज्य की जनसंख्या का पर्यावरण यान हो जाता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वेक्षण या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय - 3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा - (1) इस भाग के पूर्वगामी उपक्रमों में किसी बात के होंगे इसी भाषा में होंगे, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक -
(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियों और द्वेषी भाषा में होंगी,
(ख) (i) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन पूर्व:शास्त्रीय को होंगे जाने वाले सभी विधेयक या प्रत्यावर्तित किये जाने वाले उनके संस्करणों के,
(ii) संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राजपाल द्वारा प्रकाशित सभी अध्येताओं के,
(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद के किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निर्माण गए या बनाए गए सभी आदेशों, निर्देश, विनियमों और अधिनियमों के, प्रकाशित पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे:
(2) खंड (1) के उपक्रम (व) में किसी बात के होंगे इसी भाषा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज में है, हिंदी भाषा का या उस राज के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा:
फलते ही झंडा के कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्देश, निर्देशी या आदेश को लागू नहीं होगी।
(3) खंड (1) के उपक्रम (ग) में किसी बात के होंगे इसी भाषा जहाँ किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पूर्व:शास्त्रीय विधेयक या प्रत्यावर्तित अधिनियमों में अथवा उस राज के राजपाल द्वारा प्रकाशित अध्येताओं में अथवा उस उपबंध के पैर (iii) में निर्देश किसी आदेश, निर्देश, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से विशिष्ट कोई भाषा मिल्लियों की है वहाँ उस राज के राजपत्र में उस राज के राजपत्र के प्राथिक द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पाठ सम्पन्न जाएगा।

349. भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विधेय प्रक्रिया - इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोजन की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व संजीवी के विनायक पूर्व:शास्त्रीय या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पूर्व:शास्त्रीय या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित करे जाने की अंग्रेजी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन
350. वक्ता के निर्देश के लिए अभावेन्द्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा - प्रत्येक व्यक्ति दिनी वभाषा के नियम के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, वक्ताबद्धता, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभावेन्द्र का हकदार होगा।

350 (क) प्राधिकारिक स्तर पर मान्यता में शिक्षा की सुविधाएं - प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राधिकारिक स्तर पर मान्यता में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राज्यपाल किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझौता हो।

350 (ख) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी -
(1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।
(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संचालन के आधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपविषयक समस्याओं पर संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संचार में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्देश करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखकर और संबंधित राज्यों की सरकारों को विज्ञापन।

351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश - संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के भीतर तलों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अहमदाबाद अनुसूची में विनिर्देश भारत की अन्य भाषाओं में भेजकर, बैतूली और प्रदर्शन का आलसता करने हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके बदल-बदल के लिए हुआ वस्तुत तथा गौण: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने हुए उसकी समस्त सुनिश्चित करे।

2.1.6 (क्र) राज्याधिकार अधिनियम, 1963 (वधारांशील, 1967) (1963 का अधिनियम संख्याक्रम 19)
उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रमुखग्रहों, संसद में कार्य के संवाहक, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कालमय प्रमुखग्रहों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपयोग करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौमहान वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) यह अधिनियम राज्याधिकार अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।
(2) धारा 3, जनवरी, 1965 के 26ते दिन के प्रति को योजना होगी और इस अधिनियम के उपि उपयोग उस तारीख 2 की प्रकट होगे जिसे केंद्रीय संसद, भारतीय राजस्व में अधिसूचना
द्वारा नियत करें और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अप्रेक्षित न हो,-

(क) "नियत दिन" से, धारा 3 के संबंध में, जनवरी 1965 का 26वें दिन अभिव्यक्त है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिव्यक्त है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है ;

(ख) "हिंदी" से वह हिंदी अभिव्यक्त है जिसकी लिपि देवनागरी है।

2)3. संज्ञा के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग -

(1) संविधान के प्रारंभ से पंजर वर्ष की कलाकान्ध की समाप्ति हो जाने पर भी, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही:-

(ख) संज्ञा के उन सभा राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से तीसरे पहले प्रयोग में लाई जाती थी: तथा

(घ) संसद में कार्य के संबंध हो के लिए ; प्रयोग में लाई जाती रह सकेंगी:

परंतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिंदी को अपनी राज्याधिकृत के रूप में नहीं अपनाया है, प्राधिक के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी:

परंतु यह और है कि जहाँ किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राज्याधिकृत के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राज्याधिकृत के रूप में नहीं अपनाया है, तीव्र प्राधिक के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ हिंदी में ऐसे प्राधिक के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा:

परंतु यह और भी कि इस उपराज्य की किसी भी संधि का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिंदी को अपनी राज्याधिकृत के रूप में नहीं अपनाया है, संज्ञा के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ जिसने हिंदी को अपनी राज्याधिकृत के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, प्राधिक के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाये से निराहार करती हैं, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ प्राधिक के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वापस न होगा।

(2) उपराज्य (1) में असंतुष्ट किसी भाषा के होते हुए भी जहाँ प्राधिक के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा -

(i) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच ;

(ii) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उनके किसी कार्यालय के बीच;
(3) उपधारा (1) में आरंभिक किसी बात के होते हुए भी, हिंदी और हिंदी भाषा दोनों ही-
(i) संक्लन्त, साधारण अर्थ, शब्द, अद्वितीय, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रति विषयों के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निम्न या कंपनी द्वारा या ऐसे निम्न या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा प्रकट किया जाता है या किए जाते हैं,
(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कार्य-प्रणाली के लिए,
(iii) केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निम्न या कंपनी द्वारा या ऐसे निम्न या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा प्रमाणित संदिग्धाओं और करारों के लिए
तथा प्राचीन और नियम-प्रणाली के लिए, प्रयोग में लाई जाएगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपयोग या प्रतिकूल प्रभाव डालते बिना यह है कि केंद्रीय सरकार द्वारा 8 के अधीन बनाए गए निम्न द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपयोग कर सकनी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अर्थ किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यक्रम है; प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे निम्न बनाए गए राजकीय कार्य के शीघ्रता और दिलचस्पी के साथ निर्धारण का तथा उज्ज्वल संगठन के हितों का समय धारण रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए निम्न मिश्रणत्व यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यक्रम के संबंध में संग्रह कर रहे हैं और जो या या हिंदी में या अङ्ग्रेजी भाषा में प्रविष्ट है वे भावना धूप से अपना कार्य समय और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रविष्ट नहीं है उनका कोई अहिंस नहीं होगा।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) के उपयोग और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4),
के उपयोग तब तक प्रतिमात बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अङ्ग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देंगे के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा, जिन्हें हिंदी को
अपनी राजधानी के लॉ नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता और तब
tक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर
eक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

4. राजमार्ग के संबंध में समिति - (1) जिस तारीख को धारा 3 प्राप्त होती है उससे दस
वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राजमार्ग के संबंध में एक समिति। इस विषय का संकल्प संसद
के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, मदद की जाएगी।
(2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोकसभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुवांशिक प्रतिस्पर्धा के आधार पर एकत्र मतदान के अनुसार निर्वाचित होंगे।
(3) इस समिति का कार्य कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजस्वशील प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रामाण्य का पुनर्धारण करे और उस पर सिफारिशें करें जिन प्राप्त हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन का संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाला और सभी राज्य सरकारों को सिखायेगा।
(4) राष्ट्रपति उपाध्याय (3) में निर्देश प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत असहमत किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समय प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा।
[परंतु इस प्रकार निकाल गए, निदेश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे]

5. केंद्रीय अधिनियम आदेश का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद - (1) नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय राज्यनिव में राष्ट्रपति के प्रभाव कार से प्रकरणित -
(n) केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित किसी अधिनियम का, अथवा
(व) संविधान के अंतर्गत या किसी केंद्रीय अधिनियम के अर्थन सिक्का गए किसी अधिनियम, नियम, विनियम या उपविष्ट का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
(2) नियत दिन से ही उन सब विषयों के, जो संसद के किसी भी सदन में पूर्व स्थापित किए जाने हों और उन सब संबंधों के, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उसका हिंदी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अर्थन सिक्का गए नियमों द्वारा विविध की जाए।

6. कल्याण दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद - जहां किसी राज्य के सिद्धान्त मंडल ने उस राज्य के सिद्धान्त मंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रकाशित आयोजनों में प्रयोग के लिए हिंदी से मिल कोई भाषा विभिन्न की है वहाँ संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) द्वारा अपेक्षा अंग्रेजी भाषा के उसके अनुवाद में अभिनित, उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्रभाव कार से नियत दिन को या उसके पूर्व मूल्य प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में किसी अधिनियम या अधिनियम का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदेश में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग - नियत दिन से ही तक परस्पर किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अंग्रेजी भाषा के अर्थस्तित हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्देश, डिकी या आदेश के
8. नियम बनाने की शक्ति - (1) केंद्रीय सरकार इस आधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राज्यमंत्री अथवा अविस्तृत द्वारा बना सकेंगी।
(2) इस धारा के अंदर बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के प्रश्न का लक्षण शीघ्र, संसद के हर एक सदन के समय, उस समय वह रात्रि में हो, कुल शिलाकर तीस दिन की कालविधि के लिए, जो एक रात्रि में या दो सप्ताहों के समय में समाप्त हो सकेंगी।
(3) बाहर का राजा और यह उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रूप हो, या तीस पश्चाती सत्र के अवस्थान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपार्त करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्समाता कथास्थिति, वह नियम ऐसे उपार्तित रूप में ही प्रतिस्थापनी होगा या उसका कोई भी प्रतिस्थापन न होगा, किंतु इस प्रकार या ऐसा कोई उपार्त या वातिकक्रण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विविधास्थिता पर प्रतिस्थापन प्राप्त न होगा।

9. कविता उपवेशों का जम्मू-कश्मीर को लागू न होना - धारा 6 और 7 के उपवेश जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू न होगे।

1. तारीख 10 जनवरी, 1965 की धारा 5(1) प्रवृत हुई, देखिए धारा का राजपत्र, अंग्रेजी भाषा 2, अनुशासन 3(ii), पृष्ठ 128 पर प्रकाशित अधिनियम संस्थानक का, 94, तारीख 4 जनवरी, 1965, तारीख 19 मई, 1969 की धारा 6 प्रवृत हुई, देखिए धारा का राजपत्र (अंग्रेजी) भाषा 2 अनुशासन 3(iii), पृष्ठ 2024 पर प्रकाशित अधिनियम संस्थानक का, 1945, तारीख 14 मई, 1969 तारीख 19 मई, 1969 की धारा 6 प्रवृत हुई, देखिए धारा का राजपत्र (अंग्रेजी) भाषा 2 अनुशासन 3(iii), पृष्ठ 2024 पर प्रकाशित अधिनियम संस्थानक का, 1945, तारीख 14 मई, 1969 तारीख 7 मई, 1970 की धारा 7 प्रवृत हुई, देखिए धारा का राजपत्र, अंग्रेजी भाषा 2, अनुशासन 3(iii) में प्रकाशित अधिनियम संस्थानक का, 641, तारीख 26 फरवरी, 1970 दारा 5(2), तारीख 1 अक्टूबर, 1976 को प्रवृत हुई, देखिए धारा का राजपत्र, अंग्रेजी भाषा 2, अनुशासन 3(iii) पृष्ठ 1901 पर प्रकाशित अधिनियम संस्थानक का, 655 (d), तारीख 5 अक्टूबर, 1976।
2. 1968 के अधिनियम संस्थानक 1 की धारा 2 द्वारा धारा 3 के ख्यात पर प्रतिस्थापित।
3. 1968 के अधिनियम संस्थानक 1 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्राप्ति - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजबापा (संघ के शासकीय प्रायोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।
(2) इनका विस्तार, तत्परतावुख राज्य के नियम संरूप भारत पर है।
(3) ये राजपत्र में प्रकाशित की चारीख को प्रदूष होगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अचर्ज अभिव्यक्ति न हो को "अधिनियम" से राजबापा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिव्यक्ति है।
(ख) "केंद्रीय सरकार के कार्यालय" के अंतर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थातः
(i) केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय
(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकारण
(iii) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निम्न या कम्पनी का कोई कार्यालय
(ग) "कर्मचारी" से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति है।
(घ) "अधिसूचित कार्यालय" से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिव्यक्ति है।
(ड) "हिंदी में प्रविष्टता" से नियम 9 में वर्णित प्रविष्टता अभिव्यक्ति है।

** (ब) "क्षेत्र क" से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य और संयुक्त राज्य युनाईटेड स्टेट्स में दलित लोग राज्य क्षेत्र अभिव्यक्ति है।

***(घ) "क्षेत्र ख" से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और चेन्नई एवं सिक्किम राज्य क्षेत्र अभिव्यक्ति है।
(ज) "क्षेत्र ग" से लंबड़ (व) और (घ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से मिश्र राज्य तथा राज्य संघ क्षेत्र अभिव्यक्ति है।
(ड) "हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान" से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिव्यक्ति है।

3. राज्यों आदि के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों का साथ प्राप्ति -
(1) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से क्षेत्र "क" में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को प्राप्ति का अधीन दशकों को छोड़कर हिंदी में होगे और यदि उनमें से किसी को कोई प्रतादि औरतेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।
(2) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से -
(क) क्षेत्र "ख" में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतः हिंदी में होंगे और यदि कोई पत्रादि अंग्रेजी में लिखे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

परंतु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकार के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आवश्यक पत्रादि संबंध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनियमित अनुकूल तक अंग्रेजी या हिंदी में लिखे जाएं और उसके साथ दूसरी 'पापा' में उसस्का अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे।
(ख) क्षेत्र "ख" के किसी राज्य या संघ क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्तादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

(3) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र "ग" में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्तादि अंग्रेजी में होंगे।

(4) उपर्युक्त (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र "ग" में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र "क" या "ख" में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्तादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

परंतु हिंदी में पत्तादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्तादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुवंशिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

4. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्तादि -
(क) केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्तादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।
(ख) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र "क" में स्थित संलग्न या आधीन रहने वाले कार्यालयों के बीच पत्तादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्तादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुवंशिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।
(ग) क्षेत्र "क" में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच, जो खंड (क) या खंड (ख) में विनियमित कार्यालयों से संबंध है, पत्तादि हिंदी में होंगे।
(घ) क्षेत्र "क" में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र "ख" या "ग" में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्तादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।
परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कर्मचारी खान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुभूति व्यक्त को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अव्यक्त करे।

(2) क्षेत्र “क” या “ग” में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं:

परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कर्मचारी खान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुभूति व्यक्त को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अव्यक्त करे।

परंतु जहाँ ऐसे पत्रादि —

(i) क्षेत्र “क” या क्षेत्र “ग” किसी कार्यालय को संबोधित है वहाँ यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी बात में अनुवाद पत्रादि भुलाते के स्थान पर किया जाएगा।

(ii) क्षेत्र “ग” किसी कार्यालय को संबोधित है वहाँ, उनका दूसरी बात में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा।

परंतु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी बात में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5. हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर - नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिंदी में पत्रादि उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे।

6. हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग - अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दर्शकों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दर्शकों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तराधिकार होगा कि ये यह सुनिश्चित करे कि वे ऐसे दर्शकों के हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में पैराम वाली की जाती है, निर्दिष्ट की जाती है और जारी की जाती है।

7. आवेदन, अथवा आवेदन आदि -

(1) कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अथवा आवेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अथवा आवेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किया गया हो तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी वह चाहता है कि रोचक संबंधित विषय (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियाँ भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सुनना, जिनका कर्मचारी पर लागू किया जाना अपेक्षित है, यथार्थता, हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए तो वह उसे असम्भव विलंब के बिना उसी बात में दी जाएगी।

8. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणियों का लिखा जाना -

(1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणिया कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी बात में प्रस्तुत करे।
(2) केंद्रीय सरकार को कोई भी कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दर्शावेज के अंतर्गत अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विषयक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

(3) यदि वह प्रार उठता है कि कोई विशिष्ट दर्शावेज विषयक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कर्मचारी का प्रार उसका विनिर्देश करेगा।

(4) उपलब्ध (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कर्मचारियों को विनिर्देश कर सकती है जहाँ ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, दियाएं, प्रार्थणा और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्देश किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।

9. हिंदी में प्रवीणता - यदि किसी कर्मचारी ने-
   (क) मैत्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है: या
   (ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था: या
   (ग) यदि वह ऐसे नियमों के उपरांत प्राप्त में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है:
      तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान - (1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने-
    (i) मैत्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है: या
    (ii) केंद्रीय सरकार की हिंदी परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित प्राप्त परीक्षा या, यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रार्थन के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निमंत्रण परीक्षा विनिर्देश है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है: या
    (iii) केंद्रीय सरकार द्वारा उस विनिर्देश विनिर्देश कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है: या
    (ख) यदि वह ऐसे नियमों से उपबोध प्राप्त में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया: तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(2) यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कर्म चर्या करने वाले कर्मचारी में से अस्वीकारता ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामग्रियाया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(3) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार, द्वारा ऐसे विनिर्देश कोई अधिकारी या अधिकारियों का अभाव रखता है कि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

(4) केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजस्थान में अधिसूचित किए जाएंगे:
परंतु यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधारण ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिष्ठान किसी तारीख में, उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठा से कम हो गया है, तो वह; राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राप्ति कर सकते हैं कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11. भूमिका, संस्थाएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि -
(1) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी भूमिका, संस्थाएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिंदी और अंग्रेजी में विभाजित रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।
(2) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किया जाने वाले रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे।
(3) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपत्र, सूचना, पत्रिका, विदेशी और उसके पर उद्योगी लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य गद्दी हिंदी और अंग्रेजी में होंगी, मुद्रित या उद्योगी होंगी.

परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विषयक आदेश द्वारा, केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सम्मेलन या किसी न्यूनतम से छुट्टे दे सकती है।

12. अनुपालन का उद्घाटन
(1) केंद्रीय सरकार के प्रयोग कार्यालय के प्रशासनिक प्रशासन का यह उद्घाटन होगा कि वह- (i) यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम और इन नियमों के उपयोग और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समृद्ध संग्रह अनुपालन हो रहा है; और
(ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रशासनिक जांच के लिए उपयोग करें।
(2) केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपयोग के समय अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

प्रारूप
(नियम 9 और 10 देखिए)

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि निम्नलिखित के आधार पर ***मुझे हिंदी में प्रकृति प्राप्त है/मैंने हिंदी का कार्यसाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

तारीख:
हस्ताक्षर:

* [राजपत्र के 17-07-1976 के राजपत्र के भाग-1, खंड-3, उपखंड (1) में प्रकाशित]*
** राजगपत्र (संघ के सासकी प्रावधानों के लिए प्रयोग) संयोजन नियम, 1987
सं. 1/14034/10/87-रा.भ.(क-1), रिपोर्ट 9-10-1987 [[21]
*** जो लागू न होता है, उसे कृपया काट दीजिए।
2.2 राजभाषा संबंधी दायित्वों के निर्वाह में सहायक कंप्यूटर
कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में "कंप्यूटर" संबंधी भाषा के प्रयोग का 
अनिवार्य ही नहीं बल्कि अपरिहार्य महत्व बनता जा रहा है।
आं: वाली शास्त्रीय में जब आक्सेलेला जीना सुशिक्षा होगा, तब के लिए हम आज से हरी 
हिंदी के प्रयोग के विस्तार के लिए हाथ-पैर बढ़ाएंगे। शाश्वत ने आगे एक उपयोग में भारत 
देश के भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए गाय के खदेप की रस्सी को दस से बीस हाथ बढ़ाने की 
उपयोग को अपनाने की सलाह दी थी। 22

ज्ञान किसी भाषा का तो नहीं होता। सभी भाषाएं उसकी बाहिकाओं हैं। नए 
आक्षरक कृपया और नए अनुसूचियों के लिए सौदी विभाग और विवेक का किस्मता चाहिए। 
यही समाज आवश्यकताएं एवं नवीन खोजों का करने में अग्रणी रह सकता है, जो 
स्वतंत्रतापूर्वक अपनी भाषा में सहजता से सोच-विचार कर सकता है। 23

दीर्घ समय तक भारत में आम धारणा रही है कि कंप्यूटरों में केवल रोमन लिपि का 
ही प्रयोग साभार है 24

कंप्यूटर का नाम सुनने ही गान लिया जाता था कि उस पर होने वाला काम अंग्रेजी 
में ही होगा। 25

विज्ञान की प्रगति के कारण अनेक ऐसे यंत्र बनते जा रहे हैं जिनको अपना बिना 
भाषासूचक अथवा तकनीकी दृष्टिकोण में कठिनाइयाँ अनुभव होती है। ये यंत्र यदि अंग्रेजी काम के 
लिए ही उपलब्ध हों तो उनमें देखभाल संबंधी सभ्यता न होती है तो उससे हिंदी की 
प्रगति में शिरित रूप से बहादू पड़ती है। इसके लिए है कि भारत में अनेक नए यंत्र पहले 
रोमन लिपि में आते हैं और वास्तव में ऐसे यंत्रों में देखभाल लिपि के प्रयोग की संभावना की 
बात सोचनी जाती है। 26

कई सामानों में हिंदी पत्रों के विकास अथवा उत्पादन में न सरकारी संगठन जिन्हें 
लेते हैं और न कोई प्राइवेट कंपनियाँ। 27

यदि हम राजभाषा के रूप में हिंदी की प्रगति चाहते हैं तो तकनीकी आवश्यकताओं 
की और गंगारितापूर्वक ध्यान देना होगा, अन्यथा अंग्रेजी की एक और नई श्रीमान आ जाने से 
हमारी व्यक्ति की गैरनियम पर प्रानी फिरा जाता है और जो काम कचरी परिष्कर करने के 
फलस्फल हिंदी में आरंभ हुए होते हैं वे फिर अंग्रेजी में होने लगते हैं। 28

2.3 हिंदी कंप्यूटर संबंधी सांविधानिक व्यवस्था
विज्ञान वानर जाते समय भारत में विज्ञान का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ था तथा 
इस क्षेत्र में हिंदी में किए जाने वाले कार्य भी न के बराबर ही थे। अतः विज्ञान को आयार 
की संभावना कर पूरक रूप से किसी प्रकार का प्रवर्तन नहीं किया गया जैसा कि विज्ञान जैसे क्षेत्रों
भारत सरकार के राज्याधिकारी विश्वास (मूल गंतव्य) ने अपने प्रकाशन "देवनागरी में योजना और इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएँ" (12वें संस्करण जनवरी, 1999) के "योजना सुविधाएँ और राज्याधिकारी नीति" आधार (पृ. 1 से 6 तक) में इस संदर्भ में जारी आदेशों का विवरण निर्देशांकुश प्रस्तुत किया हैः

कंप्यूटर
- कंप्यूटर प्रणालियों केन्द्र दिग्गजस्क रूप में खरीदी जाएँ।
- किसी कंप्यूटर को दिग्गजस्क तभी माना जाएगा जबकि उसमें अंग्रेजी के साथ हिंदी में डाटा एंट्री की योजना हो, सफले स्तर इक्ष्यनुसार अंग्रेजी अथवा हिंदी में लिखा जा सके तथा कंप्यूटर से तैयार होने वाली सामग्री इक्ष्यनुसार अंग्रेजी या हिंदी में प्रिंट हो सके।
- इन आदेशों में किसी करण्यास दीर्घ की योजनाका होने पर प्रस्ताव संबंधित विवाद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विवाद से परामर्श लेने के प्रयोग राज्याधिकारी विवाद को भेजें।

- 74 -
हिमाशी बनाना संभव नहीं है और उसकी जगह किसी ऐसे उपकरण से काम नहीं चलाया जा सकता जो हिमाशीक प्रणा है।
- यह आदेश लीज पर लिए गए कंप्यूटरों अथवा आयातित कंप्यूटरों पर भी पूरी तरह लागू होते हैं।
{दिनोंक 30.05.1985 का.जा.स.ं. 12015/12/84/रा.भा. (ख-1) और इस संबंध में अतिरिक्त सार्वजनिक दिनोंक 31.08.1987 का.जा.स.ं. 12015/12/84/रा.भा. (त.क.)}
- केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में लागे गए सभी परिसंचरण कंप्यूटरों पर हिमाशीक शब्द संस्थानक बैठे जा सकते हैं।
{दिनोंक 14.01.1998 का.जा.स.ं. 12015/12/84/रा.भा. (त.क.)}
- वर्तमान कंप्यूटरों में 'जिस्ट' तकनीक का इस्तेमाल करके देवनागरी की सुंक उपलब्ध कराने के लिए एक समावेशक कार्यक्रम बनाया जाए।
- जिन कंप्यूटरों पर तकनीकी कारणों से हिंदी की सुंक ब्राह्मण नहीं की जा सकती उनमें भी हिमाशीक यथार्थी से व्यवस्था दिया जाए।
- हिमाशीक कंप्यूटर आदि की खरीद के लिए प्रत्येक मंडल/विभाग के प्रशासनिक प्रणा को जोच बिन्दु बना दिया गया है।
{दिनोंक 25.05.1990 का.जा.स.ं. 12015/18/90/रा.भा. (त.क.)}
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, प्रक्रियाप्रणाली, प्लेटफार्म, आदि के लिए भी इस मामले में अंतर्दृष्टि चाहिए।
{दिनोंक 11 जुलाई 1993 का.जा.स.ं. 12015/21/93/रा.भा. (त.क.)}
- बाकी केंद्रीय सरकार के कार्यालय बाजार में उपलब्ध विभिन्न हिमाशी कंप्यूटर हार्डवेयर/हैर्डवेयर में से उपयुक्त सुंकिया का चयन कर तृप्ति उपयोग ग्राहक नियमों के अनुसार करने के लिए करें।
{दिनोंक 1.12.1994 का.जा.स.ं. 12015/41/94/रा.भा. (त.क.)}
- खान राजनीति, डाल संसाधन अथवा दोनों पर हो सकता है, उसे राजनीति नियमों के अनुसार हिंदी अथवा हिंदी/अंग्रेजी में करने की क्षमता यदि किसी सांस्कृतिक अथवा हार्डवेयर (जिसका कार्ड/चिल्ड टर्मिनल) दोनों के सिला-जुला उपयोग से आपत की हो ऐसा कंप्यूटर को हिमाशीक क्षमता युक्त माना जाएगा।
{दिनोंक 28.10.1994 का.जा.स.ं. 12015/44/94/रा.भा. (त.क.)}
- राजनीति हिंदी पक्षवाद/मास के दौरान कंप्यूटर पर जितने से अधिक कार्य हिंदी में किया जाए।
{दिनोंक 28.10.1994 का.जा.स.ं. 12015/44/94/रा.भा. (त.क.)}

यदि आपका विभाग कंप्यूटर पर प्रशिक्षण दे रहा है अथवा अन्य संस्थाओं/विभागों को कंप्यूटर पर प्रशिक्षण के लिए सहायता एवं प्रौद्योगिकी देता है, तो यह आवश्यक है कि ऐसे प्रशिक्षण हिंदी में भी दिए जाएं।
{दिनोंक 12.03.96 का.जा.स.ं. 12015/43/95/रा.भा. (त.क.)}
हिमायतीक हिलेक्ट्रॉनिक उपकरण
- हिलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के केवल हिमायतीक रूप में खरीद के आदेश केंद्रीय सरकार के उन सभी कार्यालयों पर लागू होगे जिन पर राज्याधिकार नियम तथा राज्याधिकार नीति लागू होती है।
- राज्याधिकार नियमों के अनुसार इनका प्रयोग हिंदी में अथवा हिमायतीक रूप में करने के लिए किया जाना चाहिए।
{दिनांक 30.05.1985 का.झा.सं. 12015/12/84/रा.भा. (ख-1) और इस संबंध में अधिकारिक संस्थापक दिनांक 31.08.1987 का.झा.सं.12015/12/84-रा.भा. (त.क.)}
- केवल रोमन लिपि में कर्म करने वाला कोई भी हिलेक्ट्रॉनिक उपकरण राज्याधिकार विभाग की पूर्वानुमान के बिना न खरीदा जाएगा।
- केवल यही उपकरण खरीद जाएं जिनके कुंजीपतलों पर सभी आदेश/आदेश हिमायतीक रूप में दिए गए हों।
- “क” और “ख” क्षेत्रों में जाने हिमायतीक उपकरण लगाए गए हैं, राज्याधिकार संबंधी नियमों के अनुसार उनका मुख्यतः हिंदी में ही काम करने के लिए प्रयोग किया जाए।
- इन आदेशों का कार्राइ के संगमन करने की निम्नमंडली, राज्याधिकार नियम 12 के अंतर्गत विभागाधिकारी की होगी।{दिनांक 25.05.90 का.झा.सं. 12015/18/90/रा.भा. (त.क.)}

केंद्रीय सचिवालय राज्याधिकार सेवा संयुक्त के अधिकारियों के ए.सी.आर. में आयुक्तीक हिलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खाने के संबंध में प्रविण्य - इसमें अधिकारी के देशनार्मी सिद्ध होने की आधुनिक कार्यक्षमता उपकरणों के संबंध में खाना/खाना, उनके प्रयोजन में सर्वाधिक एवं सुधार तथा अन्य को उनके प्रति प्रेरित करने की दिशा में किए गए प्रयासों का ज्ञान है।{दिनांक 13.03.96 का.झा.सं. 8/1/96/रा.भा. (से.)}

सभी हिलेक्ट्रॉनिक सरकारी उपकरणों अर्थात जाना/खाना, हिलेक्ट्रॉनिक जाना/खाना, कंप्यूटर, निजी कंप्यूटर और यह इस प्रकार के अन्य सरकारी उपकरण की खारद राज्याधिकार अधिनियम, 1963 और राज्याधिकार नियमावली, 1976 में विशेष प्राधिकारियों और राज्याधिकार विभाग द्वारा समय-समय पर इनके तहत जारी आदेशों के अनुसार होनी चाहिए।{दिनांक 14.05.1996 का.झा.सं. 1(25)-संस्था-11 (क)/95} 20

कुल मिला कर, त्यागी हिंदी जाना/खाना तैयार करने में किसी की रुचि नहीं है, फिर भी हिंदी की स्थिति कंप्यूटर के गामले में शुष्क नहीं है। इसका एक कारण हिंदी का राज्याधिकार होना भी है क्योंकि राज्याधिकार के लिए किए गए साध्विक प्राधिकारों के तहत ही कंप्यूटर संबंधी हिंदी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास किए गए। इसीलिए
विद्यानिवास मिश्र की मान्यता है - "शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों ने जो कुछ किया, वह उपेक्षणीय नहीं है। हिंदी में काम करने के लिए उन्होंने एक बड़ा साँचा तैयार किया। XXX आनुशासिक रूप से ही सही, हिंदी का प्रयोग हुआ है।" 30

राय अरकेश कुमार श्रीवास्तव का मत है कि - "हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास हेतु हमें केवल सरकारी प्रयासों या अनुदानों के बरोबर चलने की आदत छोड़नी होगी। XXX हिंदी को ज्ञान, सूचना प्रवाह तथा तकनीकी विकास की नई धुरी बनानी होगी। इसे इक्कीसवीं सदी की गति देनी होगी। हमें अपनी आज की पुटकारी, झूठे दर्प, अकर्मण्यता तथा अपने गुँह गिट्टू बनने से बचना होगा। संविधान के संकल्प तथा सपने तथी साकार होंगे।" 31
2.4 अध्याय 2 की संदर्भ सूची

1. हिंदी और हम, विद्यानिवास मिश्र, प. 118
2. हिंदी और हम, विद्यानिवास मिश्र, प. 119
3. हिंदी भाषा-विकास और श्रवण, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, प. 144
4. हिंदी का सामान्य ज्ञान-2, डॉ. हरदेव भारती, प. 143
5. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, प. 140
6. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, प. 140
7. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, प. 141
8. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, प. 145
9. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, प. 145-146
10. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, प. 149
11. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, प. 150-151
12. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, प. 151
13. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, पृष्ठ 152
14. राजमात्रा हिंदी संघर्षों के बीच, हरिबाबू कंसल, पृष्ठ-39
15. राजमात्रा हिंदी संघर्षों के बीच, हरिबाबू कंसल, पृष्ठ-39
16. राजमात्रा हिंदी संघर्षों के बीच, पृष्ठ-40
17. राजमात्रा हिंदी संघर्षों के बीच, पृष्ठ-40
18. राजमात्रा हिंदी संघर्षों के बीच, पृष्ठ-41
19. राजमात्रा हिंदी संघर्षों के बीच, पृष्ठ-42
20. भारतीय संविधान
21. राजमात्रा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तक, राजमात्रा विभाग, प. 99-105
2.2
22. हिंदी और हम, विद्यानिवास मिश्र, पृ. 20
23. हिंदी और हम, विद्यानिवास मिश्र, पृ. 16-17
24. राजभाषा हिंदी : संघर्षों के बीच, हरि बाबू कंसल, पृ. 264
25. राजभाषा हिंदी : संघर्षों के बीच, हरि बाबू कंसल, पृ. 271
26. राजभाषा हिंदी : संघर्षों के बीच, हरि बाबू कंसल, पृ. 275
27. राजभाषा हिंदी : संघर्षों के बीच, हरि बाबू कंसल, पृ. 275
28. राजभाषा हिंदी : संघर्षों के बीच, हरि बाबू कंसल, पृ. 275

2.3
29. विज्ञान के क्षेत्र में राजभाषा संबंधी सांविधिक व्यवस्था, रक्षित वाणिज्य
   [ संविधान समीक्षा के संदर्भ में राजभाषा समीक्षा, गारी पानी संयंत्र, बड़ीदा]
30. हिंदी और हम, पृष्ठ 121
31. सूचना प्रौद्योगिकी : भारतीय भाषाओं के लिए एक चुनौती, राय अरविंद कुमार
    श्रीवास्तव [ पत्रिका साहित्य अमृत, सितंबर, 2000, पृ. 44-45 में प्रकाशित]